राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3,सुरक्षा) विभाग

क्रमांक : प. 12(33)का./ख–3/सु./91–पार्ट जयपुर,दिनांक 22 JUN 2010

:: परिपत्र ::

शासन सचिवालय परिसर में आवागमन एवं पार्किंग व्यवस्था के अन्तर्गत सभी चार पहिया वाहन भूमिगत पार्किंग में पार्क किए जाने का प्रावधान किया गया है । उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यालय समय में एवं कार्यालय समय पूर्व / पश्चात सभी चार पहिया वाहनों को भूमिगत पार्किंग में पार्क करवाया जाता है ,लेकिन ऐसा देखने में आया है कि सचिवालय परिसर में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा अपने निजी वाहन एवं अनुबन्ध के आधार पर लिये गये टैक्सी वाहन रात्रि में बिना सूचना एवं सक्षम अनुमति के ही भूमिगत पार्किंग में पार्क छोड दिये जाते हैं ,जो कि सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है । अतः परिसर में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने निजी चार पहिया वाहन एवं अनुबन्धित टैक्सी वाहन को रात्रि में सचिवालय भूमिगत पार्किंग में छोडना विशेष परिस्थितियों में आवश्यक हो जाने की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमति लेकर पूर्व सूचना के पश्चात ही रात्रि में पार्क करना सुनिश्चित करें।

पंजीयक,
शासन सचिवालय,जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान , जयपुर ।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव,समस्त मा. मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिवगण ।
3. निजी सचिव, समस्त अति.मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिवगण ।
4. समस्त शासन उप सचिव ।
5. उप निदेशक,सांख्यिकी, मुख्य मंत्री कार्यालय ।
6. सचिवालय परिसर स्थित सभी संघों के अध्यक्षगण ।
7. समस्त सहायक शासन सचिव/अनुभागाधिकारी ।
8. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
9. सचिवालय परिसर स्थित समस्त विभागाध्यक्ष ।
10. नोटिस बोर्ड ।

पंजीयक